139

-1.

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्र.क्र. /2017 निगरानी R-609-I-17

1. शेख साजिद तनय शेख शहीद उम्र-25 वर्ष, निवासी- शेखों का मोहल्ला, टीकमगढ़ (म.प्र.)
2. श्रीमती अरुणा सीरोटिया पत्नी श्री संजय सीरोटिया उम्र-40 वर्ष, निवासी ताल दरबाजा, टीकमगढ़ (म.प्र.)
3. पंकज श्रीवास्तव तनय सीताराम श्रीवास्तव उम्र-40 वर्ष, निवासी शिवनगर कॉलोनी, टीकमगढ़ (म.प्र.)
4. कृष्णपाल सिंह तनय राजेन्द्र सिंह परमार उम्र-25 वर्ष निवासी- ग्राम ममौन, तह. व जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

..........निगरानीकर्ता/आवेदकगण

श्री .... द्वारा आज दि. 8-2-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. म.प्र. शासन

2. गोवर्धन सोनी तनय किशोरीलाल सोनी उम्र-62 निवासी- जेल रोड, टीकमगढ़ (म.प्र.)

2. म.प्र. शासन ....प्रतिनिगरानीकार/अनावेदक

तरतीबी पक्षकार

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959

माननीय न्यायालय तहसीलदार टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 6/अ-3/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 19.01.2009 से व्यथित होकर एवं मूल खसरा नम्बर 111 जुज स्थित ग्राम डुमरऊभाठ तह. टीकमगढ़ के नक्शे में अवैध बटांकन को निरस्त करने बाबत् निगरानी प्रस्तुत है।

महोदय,

निगरानीकर्ता की विनय निम्न प्रकार है :-

XXXI... BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक ....R....609.–एक/17.....जिला .....टीकमगढ.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-2-17	1– आवेदकगण के अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क सुने। 2– मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी तहसीलदार जिला टीकमगढ म0प्र0 के प्र.क्र. 6/अ–3/वर्ष 08–09 में पारित आदेश दिनांक 19/01/09 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदकगण की भूमि ग्राम मौजा डुमरउ मोटा तह. व जिला टीकमगढ स्थित खसरा क्र 111/2/1 हे भूमि आवेदकगण की क्रयशुदा भूमि है तथा वर्तमान में आवेदकगण के नाम पर दर्ज भूमि है। आवेदकगण की भूमि से लगी हुई भूमि 111/2/2 की तरमीम हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तहसीलदार द्वारा आवेदकगण को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किए बिना तरमीम आदेश पारित किया गया है जिस कारण यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि प्रश्नगत् आदेश के आधार पर आवेदकगण की भूमि मूल नक्शे से भिन्न बताई गयी है तथा प्रश्नगत् आदेश के पूर्व समस्त सरहदी कृषकों एंव हितबद्व पक्षकारों को साक्ष्य व सनुवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। उक्त आधार पर उनके द्वारा प्रश्नाधीन आदेश विधि विपरीत बताते हुए निगरानी को स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है । 4– आवेदकगण के विलंब माफ किए जाने के तर्कों पर विचार कर प्रस्तुत न्याय दृष्टांत एम.पी.एल. जे. 2015 भाग 4 सुप्रीम कोर्ट कार्यपालन अधिकारी अंतीपुर नगर पंचायत विरूद्व जी आरूमुगम न्याय	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एव आभभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	दृष्टांत के परिपेक्ष्य में निगरानी में हुए विलम्ब को माफ किया जाता है। 5— उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। विचारण न्यायालय तहसीलदार टीकमगढ द्वारा खसरा न. 111/2/2जुज रकवा 2.451 हेक्टेयर भूमि की तरमीन किये जाने के पूर्व हीतब्रध पक्षकरों को सूचना पत्र जारी कर सूनवाई का अवसर दिया जाना प्रतित नही होता है । 22.12.2008 को प्रकरण पंजी बृद्ध किये जाने के उपरांत 19.01.2009 को एक माह के अंदर ही सम्पूर्ण प्रकिया अपनाई जाकर आदेश पारित किया गया है जो पत्रकारों को सूचना के अभाव में स्थिर रखे जाने योग्न नही पता हूँ। 6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है । तहसीलदार टीकमगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.2009 निरस्त करते हुये प्रकरण उन्हे इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता हे कि वे आवेदगण को सुनवाई का अवसर देते हुये भमि खसरा नं. 111/2/2 एवं खसरा न. 111/2/1 की तरमीम मौका एवं कब्जा के अनुसार पुनः करे तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	